NT>

Title: Need to protect the interest of the employees of IFFCO at Gorakhpur, Uttar Pradesh.

श्री राज नारायण पासी (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद कारखाना, गोरखपुर, 10 जून, 1990 से बंद है। यह खाद कारखाना बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित है। परन्तु प्रबंधतंत्र ने 16 सितम्बर, 2002 को एक परिपत्र जारी किया है कि जो कर्मचारी 20 दिसम्बर, 2002 तक वी.आर.एस. नहीं लेगा, उसे आई.बी.एक्ट, 1947 के तहत छंटनी कर दी जायेगी। इस वी.आर.एस. में कई विसंगतियां हैं। यह योजना उन्हीं कर्मचारियों को लाभप्रद होगी जिनकी नौकरी 30 वर्ा पूरी होगी। उन्हें बाकी के समय की दुगनी धनराशि मिलेगी। इसके विपरीत जो कर्मचारी कम समय तक कार्य किये हैं, उनके ऊपर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बची हुई सेवा अवधि का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से मेरी विनम्र मांग हैं :

1. वी.आर.एस. लेने वाले कर्मचारियों को भुगतान के बाद भी आवास खाली करने के लिये एक महीने का समय दिया जाय।.
2. वी.आर.एस. को खुला रखा जाये, जो कर्मचारी नहीं लेना चाहते हैं, उन पर दबाव न डाला जाये।
3. पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग तथा विशेाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिन कर्मचारियों की नौकरी अधिक बची हुई है अथवा जिनकी सेवा अवधि 30 वर्ा से कम है, उन्हें अन्यत्र समायोजित किया जाये।
4. पूर्वांचल के विकास के लिये गोरखपुर में खाद कारखाना के स्थान पर गैस पर आधारित एक कारखाना लगाया जाये।